



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 18 अगस्त, 2021

श्रावण 27, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं रसद अनुभाग-1

संख्या 519/29-1-2021-670-2020

लखनऊ, 18 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प0आ0-275

साधारण खण्ड अधि नियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा 3 और भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) की अधिसूचना के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचना संख्या 3915/29-ए-वी-1-64-ईसी-77, दिनांक 19 सितम्बर, 1977 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश एसेंशियल कमोडिटीज (डिस्प्ले ऑफ प्राइसेज एंड स्टॉक एंड कंट्रोल ऑफ सप्लाय एंड डिस्ट्रीब्युशन) आर्डर, 1977 को विखण्डित करती हैं, सिवाय उन संदर्भित चीजों के, जो की जा चुकी हों या ऐसे विखण्डन के पूर्व किये जाने हेतु छूट चुकी हों।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 519/XXIX-1-2021-670-2020, dated August 18, 2021:

No. 519/XXIX-1-2021-670-2020

Dated Lucknow, August 18, 2021

IN exercise of the power conferred under section-3 of Essential Commodities Act, 1955 (Act no. 10 of 1955) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and notification of Government of India, Ministry of consumer affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) published under GSR-2013(E), dated March 20, the Governor is pleased to rescind the Uttar Pradesh Essential Commodities (Display of Prices and Stocks and Control of Supply and Distribution) Order, 1977 issued through Notification no. 3915/29-A-V-1-64-EC-77, dated September 19, 1977 except as respects things done or *omitted* to be done before such rescission.

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 245 राजपत्र-2021-(560)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० खाद्य एवं रसद-2021-(561)-250 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।